भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 273

24 जुलाई, 2024 के लिए प्रश्न

उचित मूल्य की दुकानों के परिवर्तन

273. श्री पुट्टा महेश कुमार:

श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने वित्तीय व्यवहार्यता और तकनीकी उन्नति में सुधार के उद्देश्य से उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) के परिवर्तन के लिए कोई शोध/अध्ययन/सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार विशेषकर आन्ध्र प्रदेश के संदर्भ में उचित मूल्य की उन दुकानों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है जहां पहचान के प्रयोजनार्थ सीसीटीवी कैमरे, स्वचालित तराजू, डिस्प्ले सूचना बोर्ड और उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) की एक समान ब्रांडिंग का कार्य राज्य-वार पूरा कर लिया गया है; और

(ग) संवृद्धि और उन्नयन के प्रयोजनार्थ वित्तीय सहायता प्रदान की गई उचित मूल्य की दुकानों की कुल संख्या का राज्य-वार, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश के संदर्भ में ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) केंद्रीय और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारियों के तहत संचालित की जाती है, जिसमें इस विभाग द्वारा भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण, परिवहन और आबंटन की जवाबदेही ली गई है। जबकि, पात्र प्राथमिकता वाले परिवारों/लाभार्थियों की पहचान, राशन कार्ड जारी करना, आधार सीडिंग, एफपीएस-वार आबंटन और खाद्यान्नों का वितरण, लाभार्थियों का प्रमाणीकरण आदि सहित उचित दर दुकानों (एफपीएस) की लाइसेंसिंग और निगरानी जैसी परिचालनात्मक जवाबदेही संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के पास हैं।

...2/-

इसके अलावा, 4 शहरों अर्थात् हैदराबाद, गाजियाबाद, जयपुर और अहमदाबाद में 60 एफपीएस की व्यवहार्यता में सुधार लाने के लिए एक प्रायोगिक अध्ययन कराया जा रहा है। संबंधित राज्यों के नेतृत्व में भारत सरकार कार्यशील पूंजी के प्रावधान हेतु और पौषणिक वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ गैर पीडीएस वस्तुओं की बिक्री के लिए बी2बी ऑनलाइन होलसेल एग्रीगेटर हेतु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एसआईडीबीआई) के साथ भागीदारी करके इन एफपीएस दुकानों को हाथों-हाथ (हैंडहोल्डिंग) सहायता प्रदान कर रही है।

उचित दर दुकानों की व्यवहार्यता में सुधार लाने के प्रयासों के भाग के रूप में, भारत सरकार द्वारा विभिन्न पहलें की गई हैं और सभी राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से उचित दर दुकानों पर अतिरिक्त सेवाएं शुरु करने का अनुरोध किया है, जिसमें सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) सेवाएं, बैंकों/ कॉर्पोरेट बैंकिंग कॉरसपोंडेंट्स के साथ साझेदारी के माध्यम से, बैंकिंग सेवाएं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) और नागरिक केंद्रित सेवाएं, छोटे (5 किग्रा) एलपीजी सिलेंडरों की खुदरा बिक्री और अन्य वस्तुओं/सामान्य स्टोर की वस्तुओं की बिक्री इत्यादि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, कौशल विकास चुनौतियों का समाधान करने के लिए, यह विभाग उचित दर की दुकानों के मालिकों का आत्मविश्वास बढ़ाने और उन्हें नए व्यावसायिक अवसरों को प्रदान करने के लिए आवश्यक उद्यमिता कौशल क्षमता निर्माण कार्यक्रम से लैस करने हेतु कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के माध्यम से क्षमता सृजन कार्यक्रम या अल्पकालिक कौशल विकास पाठ्यक्रम आयोजित करने की संभावनाएं तलाश रहा है।

परिचालन जिम्मेदारियों के डोमेन के अंतर्गत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सूचना बोर्ड प्रदर्शित करने के लिए सलाह दी गई है, जो मुख्यतः टिन की प्लेटों से बना हो और उस पर लाभार्थी के अधिकारों को दर्शाने वाली रंगीन पेंटिंग और सभी उचित दर की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल उपकरणों के साथ तौल मशीनों का एकीकरण हो और सभी उचित दर की दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की व्यवहार्यता का पता लगाएं।

आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कुल 29,872 उचित दर की दुकानों को स्वचालित तौल मशीनों के साथ इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल उपकरणों को एकीकृत किया गया है।

...3/-

(ग): प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) का क्रियान्वयन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किया जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 08 अगस्त, 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) की शुरुआत के बाद से 24 नवंबर, 2023 तक उचित दर की दुकानों (एफपीएस) वाले दुकानदारों को कुल 1,15,803 ऋण दिए गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा एफपीएस डीलरों को दिए गए पीएमएमवाई ऋणों की संख्या, जिसमें आंध्र प्रदेश भी शामिल है, का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-क** में दिया गया है।

****

अनुबंध 'क'

लोक सभा में दिनांक 24.07.2024 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 273 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा उचित दर दुकान डीलरों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण (दिनांक 24.11.2023 तक) निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ऋण खातों की संख्या
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	51
2	आंध्र प्रदेश	14,136
3	अरुणाचल प्रदेश	182
4	असम	1,769
5	बिहार	4,757
6	चंडीगढ़	259
7	छत्तीसगढ़	3,281
8	दमन एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली	16
9	दिल्ली	464
10	गोवा	68
11	गुजरात	3,118
12	हरियाणा	1,022
13	हिमाचल प्रदेश	1,242
14	झारखंड	5,964
15	कर्नाटक	3,464
16	केरल	4,115
17	लक्षद्वीप	5
18	मध्य प्रदेश	16,767
19	महाराष्ट्र	10,557
20	मणिपुर	236
21	मेघालय	333
22	मिजोरम	126

...2/-

23	नागालैंड	282
24	ओडिशा	7,954
25	पुदुच्चेरी	285
26	पंजाब	1,669
27	राजस्थान	3,308
28	सिक्किम	47
29	तमिलनाडु	5,142
30	तेलंगाना	8,345
31	त्रिपुरा	1,532
32	उत्तर प्रदेश	7,553
33	उत्तराखंड	2,670
34	पश्चिम बंगाल	3,299
35	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर	1,741
36	संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख	44
	कुल	**1,15,803**

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा दर्ज किए गए आंकड़ों के अनुसार

*****